5 Rs. COURT FEE पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत INDIA

5 Rs. COURT FEE पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत INDIA

5 Rs. COURT FEE पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत INDIA

श्री.

मानननीय राजस्व मण्डल न्यायालय ग्वालियर केम्प, इंदौर के समक्ष

निगरानी प्रकरण क्रं.   /2003

R.579-II/03 प्रस्तुति दिनांक : 7.3.2003.

छीतर पिता रामाजी
उम्र-55 वर्ष, व्यवसाय-कृषि
निवासी-ग्राम सागोर
तेहसील व जिला धार (म.प्र.)   ---- अपीलार्थी/प्रार्थी

विरुद्ध

(1) श्रीमती मनोरमाबाई पति जगदीशचन्द
पंडित, आयु-वयस्क, व्यवसाय-ज्ञात नहीं
निवासी-सुदामा नगर स्टार स्कूल के पास
इन्दौर

(2) उमराव पिता रामाजी
उम्र-मृतक, व्यवसाय-कुछ नहीं
निवासी-ग्राम सागोर तेह.व जिला धार --- रेस्पान्डेन्टस
प्रतिप्रार्थी

निगरानी धारा 50 म. प्र. भू. रा. संहिता के तहत

माननीय महोदय,

प्रार्थी का निवेदन है कि विद्वान अपर आयुक्त इंदौर (अपर आयुक्त श्री एम. मोहन राम) द्वारा प्रकरण क्रमांक 35/98-9 निगरानी में दिनांक 7.12.2002 द्वारा प्रार्थी की निगरानी निरस्त कर दी जिससे असंतुष्ट एवम् दुःखी होकर यह निगरानी अन्दर मियाद अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर सादर प्रस्तुत है :-

9 APR 2003

R-579-I/03

छोतर / मनोरमाबाई

18/11/2015	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। यह प्रकरण वर्ष 2003 से लंबित है। दिनांक 6.10.09 को श्री योगेन्द्र जोशी अभिभावक उपस्थित हुये है, तब से आज दिनांक तक लगभग 6 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है। अतः आवेदक के प्रकरण में रुचि नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष

शाक्षेमुग्वा—768—फॉर्म्स—23-3-13—5,000.